पुलिस आदेश सं० [illegible] /1990.

[illegible] सरकार ने राज्य के सभी पुलिस कर्मियों/पदाधिकारियों को वर्दी के साथ इकाई प्रतीक [illegible] धारण करने की स्वीकृति गृह(आरक्षी)विभाग के पत्रांक 4/पु०-[illegible] 7391, दिनांक 7-9-90 द्वारा प्रदान की है । यह इकाई प्रतीक बिहार पुलिस की सभी पंक्तियों के पुलिस कर्मी/पदाधिकारी वर्दी के कमीज के दायें आस्तीन के मध्य पर इस प्रकार धारण करेंगे कि प्रतीक चिन्ह कन्धे की जोड़ से 4 इंच नीचे हो ।

2- इकाई प्रतीक की मध्य लम्बाई (ए,बी) 6 (छः) सें०मी० और चौड़ाई (सी०डी०) 5 (पांच) सें०मी० होगी । इसका ऊपरी सिरा दो बराबर अर्द्ध चन्द्राकार से जुड़ा होगा । इसका निचला सिरा (ई०बी०एफ०) त्रिभुजाकार होगी जिसमें दोनों भुजाएं बराबर होंगी । भुजा सी० ई० और डी०एफ० समानान्तर एवं बराबर होंगे । भुजा सी०ई० की लम्बाई 4 (चार) सें०मी० [illegible] आयत सी०ई०एफ०डी० के ठीक बीच में बरगद के वृक्ष तथा त्रिकोण क्षेत्र (ई०बी०एफ०) में जल की चार लहरें जो ऊपर से नीचे क्रमशः छोटी होती जायेंगी के चिन्ह होंगे । वट वृक्ष एवं जल लहरों के बीच में बिहार पुलिस अंकित [illegible] । इकाई प्रतीक का आधार नेभी ब्लू रंग का [illegible] किनारे पर प्रतीक चिन्ह सुनहले रंग से बने होंगे । इसके पृष्ठ तल से पैड एवं हुक लगे होंगे ।

3- (क) अराजपत्रित पुलिस कर्मी (आरक्षी से आरक्षी निरीक्षक तक) ब्लू टेरीकॉट कपड़े पर सुनहला रंग से [illegible] इकाई प्रतीक धारण करेंगे ।

(ख) राजपत्रित [illegible] पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं ऊपरी पंक्ति के सभी पदाधिकारी) नेभी ब्लू मखमल पर सुनहला जरी से कढ़ाई किया हुआ इकाई प्रतीक धारण करेंगे । [illegible] बाहरी किनारे पर सुनहले जरी की दोहरी लाईन होगी । इसमें "जल की लहरें" उजली जरी से बनी होंगी । भारतीय आरक्षी सेवा के पदाधिकारी के लिए इकाई प्रतीक में सुनहले जरी से केवल "बिहार" अंकित रहेगा ।

(ग) दोनों के लिए इकाई प्रतीक का परिमाप तथा चिन्ह कंडिका- 2 के अनुसार ही होगा ।

4- आरक्षी से हवलदार/स०अ०नि० कोटि के पुलिस कर्मियों को अन्य वर्दी की तरह प्रत्येक एक इकाई प्रतीक निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर होने वाले व्यय पुलिस बजट के सामग्री एवं पूर्तियाँ शीर्ष के अन्तर्गत वहन किया जायेगा । अवर निरीक्षक और ऊपर कोटि के पुलिस पदाधिकारी इकाई प्रतीक पर होने वाले व्यय का स्वयं वहन करेंगे ।

5- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,

पटना ।

कृ०पृ०उ०:-

-: 2 :-

[illegible] 1342 [illegible] महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार।

ग० ।।- 51- 89 पटना, दिनांक- 26 दिसम्बर, 1990।

प्रतिलिपिः-

1. सभी आरक्षी अधीक्षक सहित, [illegible] जिला, पटना।

2. सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस/अश्वारोही सैन्य पुलिस

3. प्राचार्य, [illegible]/सी०टी०एस०, नाथनगर

4. आरक्षी अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार

5. आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना

6. आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (संचार), बिहार, पटना

7. आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (विधि व्यवस्था), बिहार,

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को तदनुसार [illegible] देंगे।

8. पी-1 प्रशाखा को दो प्रतियों में आरक्षी गजट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

9. आरक्षी महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा, [illegible] [illegible] एवं [illegible]

10. सभी [illegible] आरक्षी महानिरीक्षक, सशस्त्र बल, रेलवे/[illegible]

[illegible] आरक्षी उपमहानिरीक्षक/आरक्षी [illegible]

[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक [illegible] प्रेषित।

[signature] [illegible]/90

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (मुख्यालय), बिहार,

पटना।

[illegible] द्वारा [illegible]

[illegible] 13-12/90